संख्याः 918/69-1-98-1 (एसजे)/97

प्रेषक,

श्रीमती हेमलता ढौंडियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री सुबोध नाथ झा,
निदेशक,
राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र.,
लखनऊ।

लखनऊ : दिनांकः 27 मई, 1998

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

विषय : स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत लघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार सृजन करने सम्बन्धी निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत लघु उद्यमों की स्थापना करके स्व-रोज़गार को बढ़ावा दिया जाना है। इस संबंध में निदेशक, सूडा को लिखे गए पत्र संख्या–791/69-1-98-01 (एसजे)/97, दिनांक 21 मई, 1998 द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:–

1. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 हेतु माईकरो इन्टर प्राईजेज कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.) के लिए वित्तीय/भौतिक लक्ष्य पुनः निर्धारित करते हुए इसके लक्ष्य एक लाख तक किये जायें।

2. डी.आई.सी. के साथ डबटेंलिंग करके स्वरोज़गार बन्धु स्थापना की अवधारणा को सशक्त किया जाना है जिससे चयनित लाभार्थियों को बैंकों से ऋण दिलाए जाने का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

3. स्वरोज़गार के अन्तर्गत "रिक्शा योजना" (ओन योर रिक्शा स्कीम) को पुनः प्रारम्भ किया जाय। रिक्शा मोटर चालित भी हो सकता है। इसके लिए नगर निगम वाले नगरों में न्यूनतम 500 का लक्ष्य तथा नगर परिषद वाले नगरों में 100 रिक्शों का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

(2) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लिखित है कि स्वरोज़गार को निर्धनतम व्यक्तियों विशेषकर मलिन बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना है जिसके लिए भारत सरकार के मार्ग-निर्देशानुसार कतिपय क्रियाकलाप सूचीबद्ध कर लिए जाएं जिसका उपयोग क्षेत्रीय/स्थानीय दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए नितान्त आवश्यक है। उदाहरणस्वरूप क्रियाकलाप निम्नवत् हो सकते हैं:–

(क) **सेवायें जिनके लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है।**

चाय की दुकान, समाचार पत्र/मैगजीन की दुकान, आईसक्रीम बेचना, दुग्ध बेचना, पान/सिगरेट की दुकान, रिक्शा चलाना, फल/सब्जियाँ बेचना, धुलाई कार्य आदि।

(ख) **सेवायें जिनके लिए विशेष कौशल आवश्यक है:–**

टेलिविजन/रेडियो/रेफ्रीजरेटर/टाइपराइटर/कूलर/साईकिल/आटोमोबाइल/डीजल मोटर/डीजल इंजिनस/घड़ी/इलेक्ट्रिकल घरेलू एप्लाइसेंस की मरम्मत, कैटरिंग, ड्राई क्लीनिंग, कुर्सियों के केनिंग, मोटर बांधना, जूता मरम्मत, बुक बाईडिंग के साथ.साथ गृह सुधार मरम्मत/निर्माण जैसे प्लम्बिंग, काष्ठकारी, राजगीरी, रंग.रोगन और पालिश करना, टाइल बिछाना, शीशे लगाना, इलेक्ट्रिकलस आदि से सम्बन्धित कौशल।

(ग) **लघु उद्योग ईकाईयाँ जिनमें कौशल आवश्यक है:–**

वाशिंग पावडर, आगरबत्ती, घडियाँ,गारमेंट्स, प्लास्टिक के खिलौने, फुटवियर, लकड़ी/स्टील फर्नीचर बनाना/का उत्पादन करना, साड़ी प्रिटिंग, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, लोहारगीरी, बर्तन/स्टील फेब्रीकेशन, खाद्य, प्रसंस्करण, बालपेन बनाना आदि।

(घ) **कृषिपरक, लघु उद्योग सेवायें, व्यवसायिक कार्य एवं तत्सम्बन्धी अन्य क्रियाकलाप:–**

जनरल मर्चेन्ट दुकान, किराना दुकान, भवन निर्माण सामग्री दुकान, रेडीमेड गारमेन्ट तथा डेरी इकाईयों आदि के लिए भी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।

मधुमक्खी पालन, कुटीर उद्योग, रिक्शा/साईकिल रिपेयरिंग उद्योग, साग. सब्जी एवं फूल उगाना। जड़ी/बूटी, जरी, चिकन, माला, गुड़िया, कठपुतली, एप्लीक, पैचवर्क, सौफ्ट-टॉप बनाना आदि।

(3) जिन सेवाओं में विशेष कौशल तथा कौशल आवश्यक है उनके लिए लघु एवं कौशल सुधार प्रशिक्षण दिया जा सकता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार शासन द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र जैसे.आई.टी.आई./पालीटेक्निक/श्रमिक

विद्यापीठ/इन्जीनियरिंग कालेज और उपयुक्त शिक्षण संस्थाओं तथा निजी या स्वैच्छिक संस्थाओं का भी उपयोग किया जा सकता है तथा उन्हें आवश्यक सहयोग इस हेतु दिया जा सकता है।

(4) उल्लिखित क्रियाकलाप एवं विशेष कौशल लघु उत्पादक इकाईयाँ एवं कृषि परक, लघु उद्योग सेवायें, व्यवसायिक कार्य एवं तत्सम्बन्धी अन्य क्रियाकलाप मात्र सांकेतिक उदाहरणस्वरूप हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ट्रेड अथवा क्रियाकलाप क्षेत्रीय/स्थानीय आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये जा सकेंगे।

(5) उपरोक्तानुसार लघु उद्यम एवं कौशल सुधार के द्वारा स्वरोज़गार स्थापना के क्षेत्र में कराये गये कार्य की सूचना निम्नवत् प्रस्तुत की जाए जिससे यह आकंलन हो सके कि किस क्रियाकलाप/लघु उद्यम इकाई में कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं:–

माह.....1998 में

स्वरोज़गार कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण

(ईकाई-प्रति लाभार्थी)

जनपद का नामः

भौतिक लक्ष्यः

क्रमांक	स्वरोज़गार कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु उद्यम का नाम (ट्रेड)	कौशल सुधार प्रशिक्षण का नाम (ट्रेड)	शासकीय प्रयासों द्वारा	स्वैच्छिक संस्था/ गैर सरकारी संगठन द्वारा	सी.डी.एस. ड्वाकुआ द्वारा	निजी प्रयास (ठेकेदारी)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							
क्रमिक योग							

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(हेमलता ढौंडियाल)
संयुक्त सचिव